राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 28 / 2020

1. ख्यालीराम पुत्र गणपतराम
2. ओमप्रकाश पुत्र गणपतराम

   जाति जाट निवासी रूपा का बास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

<u>ब–ना–म</u>

........वादीगण

1. रणजीत पुत्र प्रभूराम
2. श्रवणी पत्नी प्रभूराम
3. शंकर पुत्र लालचन्द
4. सुरेश पुत्र श्योकरण
5. चांदकौर पत्नी श्रीचन्द
6. राजेन्द्र पुत्र श्रीचन्द
7. जगदीश पुत्र श्रीचद

   जाति जाट, निवासीगण ढाणी
8. श्योचन्द पुत्र सुण्डाराम
9. शांति पत्नी हरिराम
10. कुलदीप पुत्र हरिराम
11. जगदीश पुत्र हरिराम

    जाति जाट निवासी बक्सीपुरा (घासीपुरा) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
12. भतेरी पत्नी हरजीराम
13. मुकेश पुत्र हरजीराम

    जाति जाट निवासी बक्सीपुरा (घासीपुरा) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
14. मनीराम पुत्र भगवानाराम

    जाति जाट निवासी नापला तहसील नारनौल जिला महेन्दग्रढ़, हरि0
15. विमला पत्नी सरदारा
16. धर्मवीर पुत्र सरदाराराम
17. संदीप पुत्र सरदाराराम

    जाति जाट निवासी नापला तहसील नारनौल ज़िला महेन्द्रगढ़, हरि0
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक [illegible] तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 जरिये शाखा प्रबन्धक।
19. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:35:49 IST
Reason: SelfAttested

........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

निर्णय :: **दिनांक 20–05–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम रूपाकाबास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 125 के ख.नं. 38 रकबा 0.19 है., ख.नं. 41 रकबा 0.09 है., ख.नं. 44 रकबा 0.05 है., ख.नं. 46 रकबा 0.19 है., ख.नं. 47 रकबा 0.34 है., ख.नं. 59 रकबा 0.44 है., ख.नं. 60 रकबा 0.45 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.75 है. भूमि में वादीगण का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जबकि वादी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है। उनके हिस्से की भूमि छोटी उर्फ गोठ, सुखली व श्रवणी के नाम दर्ज है जबकि उनको खत्म हुये काफी अर्सा हो चुका है। इसलिये उनके वारिशान को प्रतिवादी सं. 6 लगायत 17 बनाया गया है उनका वाद वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। वादीगण की वाद वर्णित भूमि पर काबिज काश्त रहे है तथा वादीगण की उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी वादीगण की उक्त भूमि को काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 6 लगा. 7 का कभी भी इस भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है तथा ना ही वर्तमान में है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम 1/8 भूमि दर्ज रिकार्ड है जबकि उनका वाद वर्णित भूमि मे 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। उक्त भूमि पर सदैव से ही वादीगण काबिज काश्त रहे है तथा वर्तमान में भी वादीगण का ही 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रूपा का बास तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 25 के खसरा नंबर 38 रकबा 0.19 है., ख.नं. 41 रकबा 0.09 है., ख.नं. 44 रकबा 0.05 है., ख.नं. 46 रकबा 0.19 है., ख.नं. 47 रकबा 0.34 है., ख.नं. 59 रकबा 0.44 है., ख.नं. 60 रकबा 0.45 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.75 है. भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 17 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री करने का निवेदन किया है। शेष प्रतिवादीगण सं. 18 से 19 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 125 (प्रदर्श–1), खाता सं. 14 (प्रदर्श–2) ग्राम रूपाकाबास पेश की तथा साक्ष्य में शपथ पत्र ओमप्रकाश (पी.डब्ल्यू.–1), हनुमान (पी.डब्ल्यू.–2) भी पेश किये।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 "फोलोअप शिविर" में लोक अदालत/ केम्प कोर्ट के समक्ष ग्राम सफरागुवार में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को [illegible]। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत ज[illegible] खाता सं. 125 ग्राम रूपाकाबास में वादीगण प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा व खाता सं. 14 में वादीगण प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि ग्राम रूपाकाबास खाता संख्या 125 कुल किता 7 कुल रकबा 1.75 है. में गोठ, श्रवणी, सुखली पुत्रियां सुण्डाराम के 3/8 हिस्से की खातेदारी अपने नाम से चाही है। वादीगण ने अपने वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:35:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

कहीं भी यह वर्णन नहीं किया है कि जिनकी खातेदारी अपने नाम से चाही है उनसे उनका क्या संबंध है तथा किस राजस्व रिकार्ड से उनका वादग्रस्त भूमि पर हक बनता है। मात्र इकबाली जवाब दावा, भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादीगण का वाद साबित नहीं होने से काबिले खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20–05–2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 ''फोलोअप शिविर'' केम्प कोर्ट सेफरागुवार में मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:35:49 IST
Reason: SelfAttested